संख्या–406 / 79–6–06–1(5) / 06

प्रेषक,

जे0एस0दीपक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 15 फरवरी, 2006

विषयः जनपद–बुलन्दशहर में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न को स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से बाहर ले जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर कृपया अपने पत्र संख्या– दःडी0ई0 / 1065ए / 05–06 दिनांक 07.02.2006 एवं 13.02.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आप अवगत है कि दिल्ली राज्य में एम.सी.डी. व एन.डी.एम.सी. के स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मध्यान्ह पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। यह उचित होगा कि दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया एवं उनके अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त हो।

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली एवं अन्य प्रान्तों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से आपूर्ति हेतु निष्पादित अनुबन्धों का अध्ययन कर प्रदेश के लिए एक माडल अनुबन्ध का प्रारूप एवं संस्थाओं के चयन के लिए मापदण्ड निर्धारित किए जाने हेतु वांछित प्रस्ताव विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ह0
(जे0एस0दीपक)
सचिव